न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः— नारसिंगा राम, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्याः— 84 / 2024

वादीगण	बनाम	प्रतिवादी
1. भंवरलाल पुत्र दोलाराम 2. गेनाराम पुत्र दोलाराम जातिगण सीरवी निवासीगण बेरा सुगालीया, बगडी नगर तह0 सोजत जिला पाली राज0।		1. राजरथान राज्य जरिये तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत जिला पाली

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितिः—

1. श्री गजेन्द्र दवे, श्री महावीर प्रसाद मेवाड़ा अधिवक्ता वादीगण उपस्थित
2. तहसीलदार सोजत स्वयं उपस्थित।

दिनांक :— 12/05/2025

—: निर्णय :—

अधिवक्ता वादी ने राजस्व वाद विरूद्ध प्रतिवादी के पेश कर निवेदन किया कि सरहद मौजा ग्राम बगड़ी चक प्रथम, पटवार हल्का बगड़ी प्रथम, भू–अभिलेख निरक्षण क्षेत्र बगड़ी तहसील सोजत जिला पाली राजरथान में वादीगण संयुक्त हिन्दू परिवार की पैतृक, पुश्तैनी, विरासती प्राप्त कृषि भूमि आई हुई स्थित है। जिसके नया खाता संख्या 273, पुराना खाता संख्या 266 खसरा नंबर 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 2120, 2121, 2122, 2123, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133 कुल खसरा 21 कुल रकबा 5.7517 है0 की कृषि भूमि वादीगण के पिता दोला पुत्र भाना के हक हकूक खातेदारी, कब्जा काश्त की कृषि भूमि है, जिस कृषि भूमि में वादीगण के पिता दौलाराम पुत्र भानाराम का 1/6 हिस्सा हक हकूक खातेदारी, कब्जा काश्त का आता है, जिनके स्वर्गवास के पश्चात् उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि का फौतेदगी नामान्तरण 786 दिनांक 04/07/1998 के अनुसार दोला पुत्र भाना के स्थान पर वादीगण एवं उनकी माता हुलकी देवी बेवा दोला का 1/18–1/18 हक हिस्सा इंद्राज किया गया, जो जमाबंदी सम्वत् 2054 से 2057 से बखुबी प्रमाणित है। वादीगण की माता हुलकीदेवी के द्वारा अपने जीवनकाल में अपने सम्पूर्ण हिस्से का हकतर्कनामा दिनांक 05/09/2016 को वादी संख्या 01 के पक्ष में तहरीर व तकमील कर उप पंजीयन कार्यालय बगड़ी नगर में प्रस्तुत किया था, जो हकतर्कनामा दिनांक 05.09.2016 को पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 03 में पृष्ठ संख्या 100, क्रम संख्या 2016000727 पर पंजीबद्ध किया गया। वादीगण की माता हुलकीदेवी का हिस्सा वादी संख्या 01 भंवरलाल में निहित हो चुका है। जिससे वादी संख्या 01 का उक्त वादस्थ कृषि भूमि में 1/9 हिस्सा तथा वादी संख्या 02 का 1/18 वां हिस्सा खातेदारी कब्जा काश्त का आता है, इसलिए राजस्व रेकर्ड में वादी संख्या 01 का 1/9 हिस्सा तथा वादी संख्या 02 का 1/18 वां हक हिस्से की खातेदारी घोषणा का अधिकारी होने से यह वाद बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश है। इस प्रकार अधिवक्ता वादीगण द्वारा राजस्व वाद पेश कर डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय की सादिर फरमायी जावे कि वादपत्र के पद संख्या 01 में वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में वर्तमान जमाबंदी में वादी संख्या 01 व 02 के हिस्से को शुद्धी कर वादी संख्या 01 का 1/9 हिस्सा

प्रमाणित फोटो प्रतिलिपि
उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट
सोजत (पाली)

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (पाली)

तथा वादी संख्या 02 का 1/18 वें हक हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाने की ईश्तदुआ की हैं।

इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन वास्ते जवाब दावा हेतु तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार सोजत द्वारा जवाब दावा पेश कर पैरा सं0 01 में वर्णित कृषि भूमि ग्राम बगड़ी चक प्रथम में स्थित होना, पैरा सं0 02 से 03 वादी स्वयं साबित करना तथा पैरा सं0 04 से 08 कानूनी होना अंकित किया हैं।

तहसीलदार सोजत से वादग्रस्त कृषि भूमि के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु लिखा जाने पर तहसीलदार सोजत द्वारा पत्रांक/रीडर /2024/1920 दिनांक 31.12.2024 के जरिये निवेदन किया कि वर्तमान राजस्व रेकर्ड अनुसार खाता सं0 273 में वादीगण गेना पुत्र दोला हि0 1/18, भंवरलाल पुत्र दोला हि0 1/18 दर्ज हैं। उक्त खाते के सभी खातेदारों का हिस्सा जोड़ने पर 17/18 होता हैं। जमाबंदी चौसाला संवत् 2074–2077 के खाता सं0 282 में गेनाराम, भंवरलाल पि0 दोला, हुलकी बेवा दोला हि0 1/2 का हि0 1/3 अर्थात् 1/6 हिस्सा दर्ज हैं तथा उक्त खाता सं0 282 में भरे गए नामा0 सं0 2403 अनुसार (हकत्याग) से हुलकी बेवा दौला द्वारा अपना हिस्सा हकत्याग कर भंवरलाल पुत्र दोलाराम को दिया गया, जिससे भंवरलाल पुत्र दोलाराम का हि0 1/18 स्वयं का तथा 1/18 हिस्सा माता हुलकी से हक त्याग में प्राप्त किया। जिससे भंवरलाल का हि0 1/9 तथा गेनाराम पुत्र दोलाराम का हि0 1/18 होगा। वक्त सेग्रीगेशन जमाबंदी बनाते समय खाता सं0 273 में हुलकी बेवा दोला का हि0 1/18 का इन्द्राज भंवरलाल पुत्र दोला के पक्ष में दर्ज नहीं किया गया तथा न ही उक्त हिस्सा हुलकी के पक्ष में जमाबंदी में दर्ज हो पाया जिससे की वर्तमान जमाबंदी में संपूर्ण खातेदारों का हिस्सा जोड़ने पर 17/18 आता हैं। जिससे जमाबंदी खाता सं0 273 का हिस्सा एक नहीं हो रहा हैं। मौके पर जमाबंदी चौसाला संवत् 2074–77 खाता सं0 282 अनुसार भंवरलाल पुत्र दोला हि0 1/9 एवं गेनाराम पुत्र दोला हि0 1/18 हिस्सेदार हैं। की, रिपोर्ट पेश की। जो की सा0मि0 हैं।

बहस अधिवक्ता वादी एवं तहसीलदार सोजत सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता वादी ने निवेदन किया कि सरहद मौजा ग्राम बगड़ी चक प्रथम, पटवार हल्का बगड़ी प्रथम, भू–अभिलेख निरक्षण क्षेत्र बगड़ी तहसील सोजत के नया खाता संख्या 273, पुराना खाता संख्या 266 खसरा नंबर 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 2120, 2121, 2122, 2123, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133 कुल खसरा 21 कुल रकबा 5.7517 है0 के राजस्व रेकर्ड में वर्तमान जमाबंदी में वादी सं0 01 व 02 के हिस्से को शुद्धी कर वादी सं0 01 का 1/9 हिस्सा तथा वादी सं0 02 का 1/18 हक हिस्से की खातेदारी घोषित किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। जवाब बहस में तहसीलदार सोजत द्वारा विधिनुरूप निर्णय पारित किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं होना व्यक्त किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत दावा, जवाब दावा, तहसीलदार सोजत की रिपोर्ट फहरिस्त मय दस्तावेजात का अध्ययन कर बहस अधिवक्ता वादी एवं तहसीलदार सोजत पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः सरहद मौजा बगड़ी चक प्रथम के खाता सं0 282 की जमाबंदी सम्वत् 2074–77 में गेनाराम, भंवरलाल पि0 दोला, हुलकी बेवा दोला हि0 1/3 का 1/2 अर्थात् 1/6 हिस्सा दर्जसुदा है, जिसमें प्रत्येक का 1/18– 1/18–1/18 हक हिस्सा दर्जसुदा हैं। सेग्रीगेशन जमाबंदी बनाते समय हुलकी बेवा दोला का 1/18 हि0 जो

उपखण्ड अधिकारी, सोजत (राज.)

प्रमाणित फोटो प्रतिलिपि
उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट सोजत (पाली)

भंवरलाल पुत्र दोला के पक्ष में हकतर्क कर दिया था, वह न तो भंवरलाल और न ही हुलकी के नाम दर्ज हुआ। तहसीलदार सोजत द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से भी स्पष्ट है कि वर्तमान जमाबंदी में सभी खातेदारों का कुल हिस्सा 17/18 बनता हैं। जिससे वादी भंवरलाल पुत्र दोला का स्वयं का 1/18 तथा हुलकी पत्नि दोला से हकतर्क में प्राप्त 1/18 हिस्सा अर्थात 1/9 हिस्सा होना साबित होता हैं। लिहाजा वादी का वाद आंशिक स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में दर्ज भंवरलाल पुत्र दोला हि0 1/18 के स्थान पर भंवरलाल पुत्र दोलाराम हि0 1/9 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर तदानुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त किया जाना उचित समझते हैं।

-: आदेश :-

अतः अधिवक्ता मय वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार योग्य होने से आंशिक स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा ग्राम बगड़ी चक प्रथम, पटवार हल्का बगड़ी प्रथम, भू–अभिलेख निरक्षण क्षेत्र बगड़ी तहसील सोजत के नया खाता संख्या 273, पुराना खाता संख्या 266 खसरा नंबर 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 2120, 2121, 2122, 2123, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133 कुल खसरा 21 कुल रकबा 5.7517 है0 के राजस्व रेकर्ड में दर्ज भंवरलाल पुत्र दोला हि0 1/18 के स्थान पर भंवरलाल पुत्र दोलाराम हि0 1/9 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं, तदानुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त किये जाने के आदेश तहसीलदार सोजत को दिये जाते हैं। डिक्री पर्चा मुर्तिब हो। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(मासिंगा राम)
सहायक कलक्टर, सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 12/05/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मासिंगा राम)
सहायक कलक्टर, सोजत

प्रमाणित फोटो प्रतिलिपि
उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट
सोजत (पाली)

प्रमाणित प्रतिलिपि .... आवेदन ....
प्रकरण संख्या .... उपखण्ड अधिकारी
व. मजिस्ट्रेट (आ०2० नियम सं०-7 जाब्ता दीवानी) .... / शुल्क।

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

बइजलाश श्री मासिंगा राम, आर.ए.एस.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादी
1. भंवरलाल पुत्र दोलाराम 2. गेनाराम पुत्र दोलाराम जातिगण सीरवी निवासीगण बेरा सुगालीया, बगड़ी नगर तह0 सोजत जिला पाली राज0।		1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत जिला पाली

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट0 1955 सपठित धारा 136 एल.आर. एक्ट 1956

राजस्व वाद संख्या :– 84 / 2024

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी श्री गजेन्द्र दवे, श्री महावीर प्रसाद मेवाड़ा अधिवक्ता वादीगण तथा प्रतिवादी तहसीलदार, सोजत पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा ग्राम बगड़ी चक प्रथम, पटवार हल्का बगड़ी प्रथम, भू–अभिलेख निरक्षण क्षेत्र बगड़ी तहसील सोजत के नया खाता संख्या 273, पुराना खाता संख्या 266 खसरा नंबर 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 2120, 2121, 2122, 2123, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133 कुल खसरा 21 कुल रकबा 5.7517 है0 के राजस्व रेकर्ड में दर्ज भंवरलाल पुत्र दोला हि0 1/18 के स्थान पर भंवरलाल पुत्र दोलाराम हि0 1/9 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं, तदानुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त किये जाने के आदेश तहसीलदार सोजत को दिये जाते हैंतहसीलदार सोजत को इस आदेश की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

मीजान – मुबलिग – बाबत —

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह शून्य फीसदी सालाना ब्याज की तारीख से तारीख वसूलवाली तक शून्य की अदा करें।

बशिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 12/05/25 को जारी की गई।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी,
सहायक कलक्टर, सोजत

मद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.
स्टाम्प अरजीदावा	शून्य	शून्य	स्टाम्प वकलतनामा	शून्य	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य	शून्य
स्टाम्प वजह सबूत	शून्य	शून्य	महनताना वकल	शून्य	शून्य
महनताना वकील पर	शून्य	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य	बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य
बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य	मुतफर्रिक	शून्य	शून्य
मतफर्रिक	शून्य	शून्य			
मद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.

प्रमाणित फोटो प्रतिलिपि
उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट
सोजत (पाली)